न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010006862025

Civil Revision/14/2025
Rekha Verma Vs. Deepak Verma
सिविल निगरानी संख्या 14 सन 2025

1. श्रीमती रेखा वर्मा उम्र करीब 46 वर्ष पत्नी श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्री स्व० श्री रूपकिशन वर्मा निवासी 1572/295 आदर्श नगर मोदीनगर रोड हापुड़ हाल निवासी म०नं0–3745, गली रामनाथ पटवा, पहाड़गंज नई दिल्ली ।
2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र करतार सिंह उम्र करीब 52 वर्ष निवासी न०नं०–3745. गली रामनाथ पटवा, पहाड़गंज नई दिल्ली – निगरानीकर्ता / प्रतिवादीगण

बनाम

दीपक वर्मा उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र स्व० सुरेन्द्र कुमार निवासी 15–2/295 आदर्श नगर मोदीनगर रोड हापुड़, तहसील व जिला हापुड़ – रेस्पोडेन्ट/वादी

निर्णय

प्रश्नगत सिविल निगरानी, निगरानीकर्ता / प्रतिवादीगण द्वारा विद्वान अवर न्यायालय/ सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड़ द्वारा वाद सं0–91 सन् 2014 दीपक वर्मा बनाम श्रीमती रेखा वर्मा आदि में वाद बिन्दु सं0–6 के निस्तारण में पारित आदेश दि0 03–12–2024 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है । जिसके तहत वाद बिन्दु सं0–6 ''क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन सही किया गया एवं अदा किया गया न्यायशुल्क पर्याप्त है'' को प्रतिवादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया है ।

2. प्रश्नगत निगरानी में आलोच्य निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय मात्र सरसरी तौर पर बिना प्रतिवादी के अधिवक्ता को सुने जल्दबाजी में पारित किया है जो कि विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। प्रश्नगत निर्णय पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने सम्यक रूप से पत्रावली का अध्ययन व निरीक्षण नहीं किया तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया। उल्लेखनीय है कि प्रत्युत्तरदाता/वादी दीपक वर्मा द्वारा योजित वाद उपरोक्त से पूर्व उसके पिता

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.08.06 12:54:35 IST
Reason: judgement
Location: District and Sessions Court

स्व० सुरेन्द्र वर्मा द्वारा भी बिल्कुल इन्हीं तथ्यों व आधारों पर तथा इन्हीं अनुतोष के लिए निगरानीकर्ता / प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायलय सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड़ में ही वाद सं0 39 सन् 2013 सुरेन्द्र कुमार बनाम धर्मेन्द्र आदि योजित किया था उक्त वाद में भी निगरानीकर्तागण द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया था वाद सं0–39 सन् 2013 में भी दोनों पक्षो के अभिवचनो के आधार पर वाद बिन्दु सं०–3–''क्या वाद अल्प मूल्यांकित है'', तथा वाद बिन्दु सं०–4, ''क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त हैं'' बने थे। उक्त वाद बिन्दु सं0–3 व 4 का निस्तारण मान्य न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08–04–2005 को दोनों पक्षो को सुनने के उपरान्त यह निर्णीत करते हुए कि वादी को वसीयत में वर्णित चल व अचल सम्पत्ति के मूल्यो पर वाद का मूल्यांकन करते हुए न्यायशुल्क अधिनियम की धारा–7(4) ए के अनुसार Advoleram न्यायशुल्क अदा करने का निर्देश दिया था। मृतक सुरेन्द्र कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08–04–2005 के विरूद्ध मा० अपर जिला जज महोदय हापुड़ में सिविल निगरानी सं0–41/2007 योजित की जो कि मा० अपर जिला जज हापुड़ द्वारा आदेश दिनांक 02–12–2010 के द्वारा खारिज कर दी गयी तत्पश्चात मृतक सुरेन्द्र (पिता वादी) को मूलवाद सं0–39 सन् 2013 में वाद के उचित मूल्यांकन हेतु वाद पत्र में संशोधन एवं पर्याप्त न्यायशुल्क अदा करने हेतु काफी समय प्रदान किया गया किन्तु वादी द्वारा न्यायालय के निर्देशो का पालन न करने के कारण न्यायालय द्वारा वाद सं०–39/2003 सुरेन्द्र कुमार बनाम धर्मेन्द्र कुमार आदि खारिज कर दिया गया। उक्त सभी तथ्यों का वर्णन निगरानीकर्ता ने मूलवाद सं0 91 सन् 2014 में प्रस्तुत अपने प्रतिवाद पत्र की धारा–39, 40 व 41 में विस्तार से किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने चूंकि प्रतिवादी अधिवक्ता को वादबिन्दु सं०–6 पर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा स्वयं पत्रावली का निरीक्षण नहीं किया इस कारण समान पक्षकारो में समान तथ्यों पर योजित उपरोक्त वाद सं0–91/2014 में पूर्व योजित वाद सं0–39/2003 से भिन्न आदेश पारित कर दिया गया है अर्थात एक समान वाद में दो भिन्न आदेश पारित कर दिए गये हैं जो कि विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि जिस वसीयत के निरस्तीकरण व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में पूर्व में संस्थित वाद का मूल्यांकन व प्रदत्त न्यायशुल्क की घोषणात्मक अज्ञप्ति पर प्रदत्त अंकन 500/– रूपये का अपर्याप्त माना गया है बिल्कुल उन्हीं आधारों पर उसी वसीयत के निरस्तीकरण व स्थाई निषेधाज्ञा के पश्चातवर्ती वाद में घोषणात्मक आज्ञप्ति पर प्रदत्त न्यायशुल्क मात्र अंकन 500/– रूपये किस प्रकार पर्याप्त मान लिया गया। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वाद में विवादित वसीयत के वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है वसीयत का नफाज हो चुका है वसीयत रजिस्टर्ड है जिसको निरस्त कराकर वादी अपने मूल्यवान अधिकार सुरक्षित

कराना चाहता है जिसके लिए वसीयत में वर्णित समस्त चल व अचल सम्पत्ति के मूल्य पर मूल्यांकन कर निरस्तीकरण हेतु न्याय शुल्क अधिनियम की धारा–7(IV)A के अनुसार Advoleram मागशुल्क अदा किया जाना चाहिए था। निगरानी में वर्णित वाद उपरोक्त धारा रेसजूडिकेटा से भी बांधित है इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03–12–2024 यथावत रहने योग्य नहीं है । उक्त आधारों पर निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद सं० 91 सन् 2014 दीपक वर्मा बनाम श्रीमती रेखा वर्मा आदि में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03–12–2024 निरस्त किया जाकर वाद बिन्दु सं०–6 प्रतिवादनी के पक्ष में, अर्थात वाद का मूल्यांकन अल्प व प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त निर्णीत करने की याचना की गयी है ।

समर्थन में माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाए 1.Kailash Chand VS vth A.C.J , Meerut & Ors. R D 100 , 2.Mehrab & Another VS Hullan Khan & Ors. [App. No 187 of 2015], 3.Shailendra Bhardwaj & Ors.VS Chandra Pal & Another[2013 (118) RD 310 SC], 4.Suhrid Singh @ Sardool Singh VS Randhir Singh & Ors. 2010(12) SCC 112 प्रस्तुत की गयी है, जिनका मैंने ससम्मान अवलोकन किया।

3. प्रत्युत्तरदाता /प्रार्थी की ओर से मौखिक आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश विधि अनुसार पारित किया है। कानूनी बिन्दुओ व तथ्यो एवं कानूनी मस्तिष्क का प्रयोग किया है। निगरानीकर्तागण माननीय न्यायालय में स्वच्द हाथो से नही आये है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिनुसार सही है । अतः निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनउ पीठ की विधि व्यवस्था Dr. Sushil Mathur VS Harish Suri & Ors. 2023 (2) P.N.P 279 (ALL)(L.B) प्रस्तुत की गयी है, जिसका मैंने ससम्मान अवलोकन किया।

5. निगरानीकर्तागण / प्रतिवादीगण एवं प्रत्युत्तरदाता /वादी के विद्वान अधिवक्ता को मेरिट पर सुना । पत्रावली का अवलोकन किया।

6. उपरोक्त प्रकरण में अब इस न्यायालय को विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दि0 03–12–2024 में दिये गये निष्कर्ष एवं आदेश की शुद्धता , वैधता एवं औचित्य पर विचार करना है ।

7. सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी विद्वान अवर न्यायालय/ सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड़ द्वारा वाद सं0–91 सन् 2014 दीपक वर्मा बनाम श्रीमती रेखा वर्मा आदि में वाद बिन्दु सं0–6 के निस्तारण में पारित आदेश दि0 03–12–2024 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है । जिसके तहत वाद बिन्दु सं0–6 ''क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन सही किया गया एवं अदा किया गया न्यायशुल्क पर्याप्त है'' को प्रतिवादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया है ।

न्याय का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि निगरानी न्यायालय को निगरानी के निस्तारण के समय सीमित क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है । निगरानी न्यायालय को केवल अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में की गयी अविधिकता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि देखनी होती है ।

8. पत्रावली के अवलोकन यह प्रकट होता है कि विद्वान अवर न्यायालय/ सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता गण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व तर्को के आधार पर पत्रावली का सम्यक् अवलोकन करने के उपरान्त यह आदेश पारित किया गया है कि –'' पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा व उद्घोषणा के आशय से संस्थित किया गया है, जिसमें वाद का मूल्यांकन प्रश्नगत आबादी की बाजारी कीमत के आधार पर कुल 5,00,000/– रूपये कायम करते हुए अनुतोष ''अ'' के लिए 500/– रूपये व अनुतोष ''ब'' के लिए 200/– रूपये कुल मु० 700/– रूपये अदा किया गया है, जो कि सही है। वादी द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क मुन्सरिम आख्यानुसार पर्याप्त है। प्रतिवादीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादी द्वारा किया गया वाद का मूल्यांकन किस प्रकार कम है तथा वादी द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क किस प्रकार अपर्याप्त है। अतः न्यायालय के मत में वादी द्वारा किया गया वाद का मूल्यांकन व अदा किया गया न्यायशुल्क सही है। प्रतिवादीगण यह वाद बिन्दु साबित करने में असफल अहेज हैं। अतः वाद बिन्दु संख्या–6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाने योग्य है।''

निगरानीकर्ता/वादी द्वारा कथन किया गया है कि प्रत्युत्तरदाता/वादी दीपक वर्मा द्वारा योजित वाद उपरोक्त से पूर्व उसके पिता स्व० सुरेन्द्र वर्मा द्वारा भी बिल्कुल इन्हीं तथ्यों व आधारों पर तथा इन्हीं अनुतोष के लिए निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय सिविल जज(सी०डि०)प्रथम हापुड़ में ही वाद सं0 39 सन् 2013 सुरेन्द्र कुमार बनाम धर्मेन्द्र आदि योजित किया था उक्त वाद में भी निगरानीकर्तागण द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया था वाद सं0

39 सन् 2013 में भी दोनों पक्षो के अभिवचनो के आधार पर वाद बिन्दु सं०–3–''क्या वाद अल्प मूल्यांकित है'', तथा वाद बिन्दु सं०–4, ''क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त हैं'' बने थे। उक्त वाद बिन्दु सं0 3 व 4 का निस्तारण मान्य न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08–04–2005 को दोनों पक्षो को सुनने के उपरान्त यह निर्णीत करते हुए कि वादी को वसीयत में वर्णित चल व अचल सम्पत्ति के मूल्यो पर वाद का मूल्यांकन करते हुए न्यायशुल्क अधिनियम की धारा–7(4) ए के अनुसार Advoleram न्यायशुल्क अदा करने का निर्देश दिया था। मृतक सुरेन्द्र कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08–04–2005 के विरूद्ध मा० अपर जिला जज हापुड़ में सिविल निगरानी सं0–41/2007 योजित की जो कि मा० अपर जिला जज हापुड़ द्वारा आदेश दिनांक 02–12–2010 के द्वारा खारिज कर दी गयी तत्पश्चात मृतक सुरेन्द्र (पिता वादी) को मूलवाद सं0–39 सन् 2013 में वाद के उचित मूल्यांकन हेतु वाद पत्र में संशोधन एवं पर्याप्त न्यायशुल्क अदा करने हेतु काफी समय प्रदान किया गया किन्तु वादी द्वारा न्यायालय के निर्देशो का पालन न करने के कारण न्यायालय द्वारा वाद सं०–39/2003 सुरेन्द्र कुमार बनाम धर्मेन्द्र कुमार आदि खारिज कर दिया गया। उक्त सभी तथ्यों का वर्णन निगरानीकर्ता ने मूलवाद सं0 91 सन् 2014 में प्रस्तुत अपने प्रतिवाद पत्र की धारा–39, 40 व 41 में विस्तार से किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने चूंकि प्रतिवादी अधिवक्ता को वादबिन्दु सं०–6 पर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा स्वयं पत्रावली का निरीक्षण नहीं किया इस कारण समान पक्षकारो में समान तथ्यों पर योजित उपरोक्त वाद सं0–91/2014 में पूर्व योजित वाद सं0–39/2003 से भिन्न आदेश पारित कर दिया गया है अर्थात एक समान वाद में दो भिन्न आदेश पारित कर दिए गये हैं जो कि विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि जिस वसीयत के निरस्तीकरण व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में पूर्व में संस्थित वाद का मूल्यांकन व प्रदत्त न्यायशुल्क की घोषणात्मक अज्ञप्ति पर प्रदत्त अंकन 500/– रूपये का अपर्याप्त माना गया है बिल्कुल उन्हीं आधारों पर उसी वसीयत के निरस्तीकरण व स्थाई निषेधाज्ञा के पश्चातवर्ती वाद में घोषणात्मक आज्ञप्ति पर प्रदत्त न्यायशुल्क मात्र अंकन 500/– रूपये किस प्रकार पर्याप्त मान लिया गया। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वाद में विवादित वसीयत के वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है वसीयत का नफाज हो चुका है वसीयत रजिस्टर्ड है जिसको निरस्त कराकर वादी अपने मूल्यवान अधिकार सुरक्षित कराना चाहता है जिसके लिए वसीयत में वर्णित समस्त चल व अचल सम्पत्ति के मूल्य पर मूल्यांकन कर निरस्तीकरण हेतु न्याय शुल्क अधिनियम की धारा–7(IV)A के अनुसार Advoleram न्यायशुल्क अदा किया जाना चाहिए था।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था " **Kailash Chand VS vth A.C.J , Meerut & Ors. R D 100** ” में यह अभिनिर्धारित किया हैं कि –

“46. We have already held above that so long as the Will has not become operative on account of death of the testator the Will is not a document or an instrument securing property having money. value but once the testator died and a suit is filed after the death of the testator that Will become an instrument securing the property having money value. As in the instant case, admittedly the suit has been filed long after the death of the testator the Will has become operative and therefore, the Will is an instrument or document securing property having money value, Since Section 7 (IV-A) (U.P. Amendment) specifically provides for payment of Court fee in case where the suit is for or involving cancellation or adjudging void or voidable an instrument securing property having money value, Article 17 (iii) of Schedule II of the Court Fees Act shall not be applicable. In our view, therefore, there is no error in the order passed by the trial Court.”

इसी प्रकार माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **"Suhrid Singh @ Sardool Singh VS Randhir Singh & Ors. 2010(12) SCC 112** ” में यह अभिनिर्धारित किया हैं कि – **“6. Where the executant of a deed wants it to be annulled, he has to seek cancellation of the deed. But if a non-executant seeks annulment of a deed, he has to seek a declaration that the deed is invalid, or non-est, or illegal or that it is not binding on him. The difference between a prayer for cancellation and declaration in regard to a deed of transfer/conveyance, can be brought out by the following illustration relating to 'A' and 'B' -- two brothers. 'A' executes a sale deed in favour of 'C'. Subsequently 'A' wants to avoid the sale. 'A' has to sue for cancellation of the deed. On the other hand, if 'B', who is not the executant of the deed, wants to avoid it, he has to sue for a declaration that the deed executed by 'A' is invalid/void and non- est/ illegal and he is not bound by it. In essence both may be suing to have the deed set aside or declared as non-binding. But the form is different and court fee is also different. If 'A', the executant of the deed, seeks cancellation of the deed, he has to pay ad-valdrem court fee on the consideration stated in the sale deed. If 'B', who is a non-executant, is in possession and sues for a declaration that the deed is null or void and does not bind him or his share, he has to merely pay a fixed court fee of Rs. 19.50 under Article 17(iii) of Second Schedule of the Act. But if 'B', a non-executant, is not in possession, and he seeks not only a declaration that the sale deed is invalid, but also the consequential relief of possession, he has to pay an ad-valorem court fee as provided under Section 7(iv) (c) of the Act. Section 7(iv) (c) provides that in suits for a declaratory decree with consequential relief, the court fee shall be computed according to the amount at which the relief sought is valued in the plaint. The proviso thereto makes it clear that where the suit for declaratory decree with consequential relief is with reference to any property, such valuation shall not be less than the value of the property calculated in the manner provided for by clause (v) of Section 7.**

7. In this case, there is no prayer for cancellation of the sale deeds. The prayer is for a declaration that the deeds do not bind the "co-parcenery" and for joint

possession. The plaintiff in the suit was not the executant of the sale deeds. Therefore, the court fee was computable under section 7(iv)(c) of the Act. The trial court and the High Court were therefore not justified in holding that the effect of the prayer was to seek cancellation of the sale deeds or that therefore court fee had to be paid on the sale consideration mentioned in the sale deeds.”

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम /उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए अभिमत के आलोक में निगरानीकर्ता के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि उपरोक्त वाद में विवादित वसीयत के वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है वसीयत का नफाज हो चुका है वसीयत रजिस्टर्ड है जिसको निरस्त कराकर वादी अपने मूल्यवान अधिकार सुरक्षित कराना चाहता है जिसके लिए वसीयत में वर्णित समस्त चल व अचल सम्पत्ति के मूल्य पर मूल्यांकन कर निरस्तीकरण हेतु न्याय शुल्क अधिनियम की धारा–7(IV)A के अनुसार Advoleram न्यायशुल्क अदा किया जाना चाहिए था। ऐसी दशा में रेस्पोंडेट /वादी को वसीयत में वर्णित समस्त चल व अचल सम्पत्ति के मूल्य पर मूल्यांकन कर निरस्तीकरण हेतु न्याय शुल्क अधिनियम की धारा–7(IV)A के अनुसार Advoleram न्यायशुल्क अदा किया जाना चाहिए था।

रेस्पोंडेंट/वादी की ओर से उदधृत विधि व्यवस्था प्रश्नगत मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है ।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है,जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत मामले के तथ्यों के प्रकाश में अविधिक रूप से पारित किया गया है । विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायाल /सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड़ द्वारा वाद सं0–91 सन् 2014 दीपक वर्मा बनाम श्रीमती रेखा वर्मा आदि में वाद बिन्दु सं0–6 के निस्तारण में पारित आदेश दि0 03–12–2024 अपास्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय/सिविल जज (सी०डि०)प्रथम हापुड़ को निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानी में दिये गये निर्देशों एवं माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित विधि व्यवस्था में दिए गए अभिमत के अनुपालन में वाद बिन्दु सं0–6 पर उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत स्पष्ट आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अवर न्यायालय को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये । उभयपक्ष अवर न्यायालय के समक्ष दि0 17.08.2026 को उपस्थित हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांकः 06.08.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 06.08.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।